20-06-17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 136(B)/16-17

कुन्दु महतो बनाम अंगुर महतो

:: आदेश ::

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, खरसावाँ का पत्रांक 04/अं0 दिनांक 03.01.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 136(B)/16-17 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में कुन्दु महतो, पिता-स्व0 किस्टो महतो, ग्राम-सिमला, थाना-खरसावाँ, जिला- सरायकेला- खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु अंगुर महतो, पिता-स्व0 आनंद महतो, ग्राम-सिमला, थाना-खरसावाँ, जिला- सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा 46(1)B के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सिमला	166	33	899	0.07½ ए0
			925	0.13 ए0
				0.20½ ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किया है अंचल अधिकारी, खरसावाँ द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता एवं अन्य के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक के हिस्से में लगभग 2.24 एकड़ जमीन है। जिसमें से 0.20½ एकड़ विक्री करने के पश्चात 2.03½ एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं केता एक ही थाना एवं जिला के रहने वाले जाति महतो (कुर्मी) है, जो (पिछड़ा) वर्ग मे आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.20½ एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।